वित्तीय परामर्श/अतिमहत्वपूर्ण

प्रधान कार्यालय, उत्तर प्रदेश जल निगम, 6–राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक. 362 /0303–0157/2017, दिनांक. 02.08.2017

कार्यालय–ज्ञाप

विदित हो कि प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या – 419/प्र–1/2005–0373/17, दिनांक 31.03.2017 के माध्यम से समस्त नियत्रंक अधिकारियों/कार्यालयाध्यक्षों से अपेक्षा की गयी थी कि वे सुनिश्चित करें कि दिनांक 31.03.2017 के उपरान्त Outsourcing के माध्यम से कार्य कराने की व्यवस्था पूर्ण रूप से समाप्त कर दी जाये एवं इस सम्बन्ध में प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष दिनांक 05.04.2017 तक अपने नियत्रंक अधिकारी को लिखित रूप से यह अवगत करायेगा कि उनके अधीनस्थ एवं उनके नियत्रंणाधीन उक्त व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है तथा अब कोई भी संस्था/व्यक्ति उक्त माध्यम से योजित नहीं है। प्रबन्ध निदेशक के उक्त आदेश दिनांक 31.03.2017 में दिये गये अतिमहत्वपूर्ण निर्देश से सर्वसम्बन्धित को अवगत कराया जाना समीचीन हो गया है, क्योंकि प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य लेखाधिकारी, उ0प्र0 जल निगम द्वारा दिनांक 31.07.2017 को प्रस्तुत की गयी पत्रावली के अध्ययन से यह परिलक्षित होता है कि माह जून 2017 की अवधि हेतु Outsourcing से योजित मानव संसाधन के द्वारा कराये गये कार्यों के प्रति भुगतान की स्वीकृति तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक द्वारा विशेष परिस्थितियों में प्रदान की गयी है और प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा निर्गत आदेश दिनांक 31.03.2017 यथावत् अद्यतन प्रभावी अवस्थित है।

आप अवगत ही हैं कि उ0 प्र0 जल निगम में वर्तमान में बाहुल्य संख्या में फील्ड कर्मचारियों की कार्यरत स्थिति विद्यमान है और प्रबन्ध निदेशक के उपरोक्त आदेश दिनांक 31.03.2017 द्वारा जल निगम के कार्यरत कर्मचारियों द्वारा ही नियमानुसार सम्यक् कार्य कराये जाने के निर्देश हैं। प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य लेखाधिकारी द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है कि मुख्यालय स्तर पर क्षेत्रीय/खण्ड स्तर पर अथवा सी0 एण्ड डी0 एस0 (मुख्यालय)/निर्माण एवं परिकल्प सेवायें (वि0/यॉ0) एवं उनके नियत्रंणाधीन यूनिट/इकाई स्तर पर Outsourcing द्वारा योजित मानव संसाधन के माध्यम से कार्यों को माह जुलाई 2017 में भी कराया गया है, जो प्रबन्ध निदेशक द्वारा निर्गत आदेश दिनांक 31.03.2017 की आदेशित व्यवस्था को अन्यथा प्रभावित करता है।

अतः एतद् सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम के उक्त आदेश के पत्र दिनांक 31.03.2017 में प्रदत्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने के उद्देश्य से सर्वसम्बन्धित अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि उनके द्वारा प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रदत्त उक्त आदेश दिनांक 31.03.2017 का अक्षरशः अनुपालन किया जाये एवं वित्तीय दृष्टिकोण से प्रबन्ध निदेशक की स्वीकृति लिये बिना अधिकारियों द्वारा Outsourcing के माध्यम से यदि माह जुलाई 2017 में कार्य लिया गया है तो यह स्थिति वित्तीय अनियमितता की श्रेणी के अधीन आवर्त समझा जाएगा और इस प्रकार का भुगतान उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा अपने वेतन से स्वयं वहन किया जायेगा। उक्त परिप्रेक्ष्य में

2

कृपया---2